न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)
पीठासीन अधिकारी : पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 8 / 2024
GCMS No. 2024 / 57

1. सुनिल कुमार पुत्र महावीर निवासी राड़ा का बास तन लादूसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
2. रोहिताश पुत्र महावीर निवासी राड़ा का बास तन लादूसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
3. मोहनी पत्नी महावीर निवासी राड़ा का बास तन लादूसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
4. अनिता महला पुत्री महावीर निवासी राड़ा का बास तन लादूसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
5. प्रियंका पुत्री महावीर निवासी राड़ा का बास तन लादूसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
6. मंजू देवी पुत्री महावीर निवासी राड़ा का बास तन लादूसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
7. लीला ख्यालिया पुत्री महावीर निवासी राड़ा का बास तन लादूसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. नौरंग पुत्र चन्द्रा निवासी राड़ा का बास तन लादूसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
2. नेमीचन्द पुत्र रामेश्वर निवासी राड़ा का बास तन लादूसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
3. राजकुमार पुत्र रामेश्वर निवासी राड़ा का बास तन लादूसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
4. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा अलसीसर जरिये शाखा प्रबन्धक
5. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा धनूरी जरिये शाखा प्रबन्धक
6. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मलसीसर

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वकील प्रार्थी – श्री कुलदीप बुगालिया
वकील अप्रार्थी– श्री विनोद कुमार गिल

निर्णय

दिनांक 26.08.2025

संक्षेप मे आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम राड़ा का बास पटवार हल्का लादूसर में खेत ख0न0 180, 182, 183, 184, 186, 187, 191, 192, 193 कुल किता 9 कुल रकबा 15.35 है0 भूमि अवस्थित है। जिसके खातेदार काश्तकार रामेश्वर, महावीर व नौरंग थे। उक्त भूमि पेतृक भूमि है। जिसका विधिवत विभाजन हो चुका है। विभाजन के बाद भूमि ख0न0 182, 186, 251 / 192, 254 / 193 कुल

किता 5 कुल रकबा 4.95 है0 भूमि आवेदकगण तथा भूमि ख0न0 192, 193, 252/191 कुल किता 3 कुल रकबा 4.95 है0 अनावेदक संख्या 1 व भूमि ख0न0 184, 191, 255/193 कुल किता 3 कुल रकबा 4.95 है0 भूमि अनावेदक संख्या 2 व 3 को प्राप्त हुई है। उसी अनुसार सभी मौके पर काबिज काश्त है। अनावेदकगण ने आपसी साज कर रास्ते की भूमि का अपने पक्ष में विभाजन करवा लिया तथा आवेदकगण के हिस्से में आने वाली भूमि में आवागमन के लिये कोई रास्ते का प्रावधान नहीं रखा। आवेदकगण को अपने हिस्से की भूमि में आवागमन व काश्त करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अनावेदकगण पर आश्रित रहना पड़ता है। वर्तमान में आवेदकगण ख0न0 193 के दक्षिणी दिशा व ख0न0 255/193 के पश्चिमी दिशा से होकर अपने खेत ख0न0 254/193 की भूमि में प्रवेश करते है जो मौके पर 12 फीट चौड़ा है। उक्त रास्ता कटानी दर्ज नहीं होने से अनावेदकगण आवेदकगण के आवागमन में बाधा कारित करते है। इसलिये आवेदकगण उक्त रास्ते को जो नजरी नक्शे में बिन्दु ए से बी 12 फीट चौड़ा राजस्व रिकार्ड में कटानी दर्ज करवाना चाहता है। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदकगण को अपनी भूमि खेत ख0न0 254/193 में आने–जाने के लिये अनावेदकगण के खेत ख0न0 193 व 255/193 में से सलंग्न नजरी नक्शे में मार्क ए से बी तक दर्शित 12 फीट चौड़ा रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ता अकंन किया जावे। आवेदकगण उक्त भूमि के बदले डीएलसी दर की दुगुनी राशि से भुगतान करने के लिये तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार मलसीसर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों का खण्डन करते हुये अपने जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश नजरी नक्शे में मार्क ए, बी, सी, डी तक रास्ता भूमि के बदले भूमि दिये जाने पर उक्त रास्ता दिये जाने में सहमती जाहिर की।

तहसीलदार मलसीसर के पत्र क्रमांक 972 दिनांक 15.05.2025 से रिपोर्ट प्रेषित की। तहसीलदार मलसीसर ने अपनी उक्त रिपोर्ट में अंकित किया है कि आवेदकगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। चाहे गये रासते कीलम्बाई 880 फीट है। इसके अतिरिक्त ख0न0 254/193 में आने जाने के लिये उक्त खसरा नम्बर के पास स्थित ख0न0 121 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे शोभा का बास जाने वाली सड़क से ख0न0 121 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे ख0न0 254/193 तक की दूरी 125 मीटर (410फीट) है जो लघूतम है। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि में पहूंच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

जवाब देही पूर्ण होने पर बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। विद्वान अधिवक्ता आवेदकगण ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आवेदकगण के पास अपने खेत में आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है तथा तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवेदकगण द्वारा चाहा गया रास्ता रिकार्ड में कटानी दर्ज करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौरान बहस जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले भूमि दिये जाने पर उक्त रास्ता दिये जाने में सहमती जाहीर की।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदकगण को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लधुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी की ओर से अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि ख0न0 254/193 में आने जाने हेतु खेत ख0न0 193, 255/193 में से सलंग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार मलसीसर की रिपोर्ट के अनुसार आवेदकगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है तथा आवेदकगण द्वारा चाहा गया रास्ता लघुतम है। अतः तमाम साक्ष्य सबूतों, तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण को खेत खसरा नम्बर 254/193 में आने–जाने के लिये ख0न0 193, 255/193 में तहसीलदार मलसीसर की रिपोर्ट के सलंग्न नक्शे में लाल स्याही से अंकित 4 मीटर चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार मलसीसर को निर्देशित किया जाता है कि ख0न0 193, 255/193 में से रास्ते में आने वाली भूमि के बदले डी.एल.सी. का दो गुणा राशि आवेदकगण से वसूल कर ख0न0 193, 255/193 के खातेदार को दी जाकर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार मलसीसर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर